



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042022-235175
CG-DL-E-18042022-235175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1740]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 1740]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

का.आ. 1829(अ)—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त वर्णन इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के सूरत जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, खास जमीन संपादन अधिकारी, शाखा सं. 4, सूरत, 5 वां माला, ए ब्लॉक, बहुमाली भवन, सूरत, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए सूरत जिले में आने वाली अवसंरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : सूरत

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / ब्लॉक संख्या	हैक्टेयर में क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	पलसाना	शेढाव	ब्लॉक संख्या 66/ए/1/2	0.1189
			ब्लॉक संख्या 66/ए/1/1	0.1189
			ब्लॉक संख्या 63/बी/1/1	0.1845
			ब्लॉक संख्या 63/बी/1/2/ए	0.1845
			ब्लॉक संख्या 62/ए/1	0.0100
			ब्लॉक संख्या 69/ए/1	0.1256
			ब्लॉक संख्या 69/ए/2	0.1256
			ब्लॉक संख्या 69/ए/3	0.1256
			ब्लॉक संख्या 69/ए/4	0.1256
			ब्लॉक संख्या 69/ए/5	0.1256
			ब्लॉक संख्या 59	0.0035
			ब्लॉक संख्या 60/ए	0.0117
			ब्लॉक संख्या 66/ए और 63/बी/1 के बीच में रॉड (सरकारी जमीन)	0.2231
			ब्लॉक संख्या 10/ए	0.2000
(2)	कामरेज	लसकाना	ब्लॉक संख्या 5/ए/3/ए	0.2000

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2300]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, 13th April, 2022

S.O. 1829(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projectsnamely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Surat in the State of Gujarat hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition Officer, Branch No.4, Surat, 5th Floor, “A” Block, Bhaumali Bhavan, Surat, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the proposed Special Railway Projectnamely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Surat in the State of Gujarat.

Name of the District: - Surat

Serial Number	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey / Block Number	Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Palsana	Sedhav	Block Number 66/A/1/2	0.1189
			Block Number 66/A/1/1	0.1189
			Block Number 63/B/1/1	0.1845
			Block Number 63/B/1/2/A	0.1845
			Block Number 62/A/1	0.0100
			Block Number 69/A/1	0.1256
			Block Number 69/A/2	0.1256
			Block Number 69/A/3	0.1256
			Block Number 69/A/4	0.1256
			Block Number 69/A/5	0.1256
			Block Number 59	0.0035
			Block Number 60/A	0.0117
			Road between Block Number 66/A and 63/B/1 (Government land)	0.2231
(2)	Kamrej	Laskana	Block Number 10/A	0.2000
			Block Number 5/A/3/A	0.2000

[F.No. 2022/LML-II/12/1/WC/2300]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)